न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 48/2020–21

मो0 जैनुल बनाम् रैयान मौजा–खैराकिता

–: आदेश :–

31.03.2023	वर्तमान प्रक्रिया आवेदक मो0 जैनुल, पे0–मो0 जहीरउद्दीन, साकिन–खैराकिता, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–5 के तहत मौजा–खैराकिता नं0–543 के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, महागामा का पत्रांक–456/रा0, दिनांक–03.03.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–खैराकिता नं0–543 एक खास मौजा है। इस मौजा में पूर्व प्रधान के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–खैराकिता नं0–543 प्रधानी मौजा नहीं रहने के कारण आवेदक मो0 जैनुल, पे0–मो0 जहीरउद्दीन, साकिन–खैराकिता, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के द्वारा समर्पित आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। 31.03.23 अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा। 31.03.23 अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा।

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.09.21 13:20:59 +05:30
Location: 192.168.1.33

F/Order.